

HP-PERC

ANNUAL REPORT 2012-13

H.P. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS REGULATORY COMMISSION

Majitha House Complex, Shimla -171 002 Tel: 0177-2629663, 2629665, Fax: 0177-2629663

CONTENTS

S. NO	TITLE	PAGES
1	INTRODUCTION	1-2
2	ORGANIZATION OF THE COMMISSION	3-5
3	ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION	6-7
4	IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED	8-19
5	PENALTIES IMPOSED AND AMOUNT RECOVERED FROM VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS	20
6	OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS	21
7	ACCOUNTS OF THE COMMISSION	22-24

CHAPTER-1

INTRODUCTION

The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission was established by the Govt. of Himachal Pradesh under Section 3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching examination, research, extension programmes and protection of interest of students of the private higher educational institutions. The Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011 covers various operational aspects for implementation of the Act such as terms and condition of services, directive powers, operation of funds, penalties, etc. The provisions of this Act or Rules or Orders made thereunder, shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

The following legislations, rules and regulations are significant and worth mentioning here in context to the role and functions of the Regulatory Commission.

- Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010: The Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the sixty-first year of the Republic of India promulgated this legislation which provides for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the private higher educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;
- University Grants Commission Act, 1956 and Rules & Regulations made there under.
- UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.
- UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009.
- All India Council for Technical Education Act, 1987 and Rules & Regulations made there
 under.

• Other State/Central Regulatory Bodies Acts/Rules/Regulations providing standards and norms, which have bearing on, the quality of higher education.

VISION FOR HIGHER EDUCATION: The Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission envisages its role as a facilitator and partner with Govt., Central regulatory bodies and institutions for quality higher education with the following Vision.

"To make Himachal Pradesh a recognized hub and a preferred choice of students for Quality Higher Education".

CORE VALUES: In order to meet the Vision for higher education within the framework of legislations, the Regulatory Commission commits itself and sets forth the following Core Values.

- 100% commitment to Higher Education quality.
- Transparency.
- Integrity.

CHAPTER-2

ORGANIZATION OF THE COMMISSION


Constitution of the Commission: The Government of Himachal Pradesh *vide* Notification No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 27.07.2011 appointed Ms. Sarojini Ganju Thakur, IAS (*Retd.*) as founder Chairperson of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for a period of three years from the date of her joining as such (i.e. 04.08.2011) or until she attain the age of 65 years, whichever is earlier. Prof. Jagat Bhushan Nadda, was appointed Member of the Commission by the Govt. of Himachal Pradesh vide notification No. EDN-A-Ka (3)-12/2009 dated 02.07.2012 for a period of three years from the date of his joining as such or until he attain the age of 65 years, whichever is earlier.

Staff of the Commission: The Government of Himachal Pradesh has initially sanctioned 27 different categories of post(s) in the Commission *vide* Notification(s) No. EDN-A-Ka(3)-12/2009 dated 20.07.2011 and 13.01.2012 respectively. The staff in-position against the sanctioned strength as on 31.03.2013 was as under:

Sr. No.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant (as on 31.03.2013)
1	Chairperson	1	1	-
2	Member	1	1	-
3	Secretary	1	1	-
4	Advisors	2	1	1
5	Law Officer	1	-	1
6	Programmer	1	-	1
7	Finance officer	1	1	-
8	Private Secretary	1	-	1
9	Personal Assistants	3	1	2
10	Senior Assistants	2	1	1
11	Clerk	1	1	-
12	DEO	3	1	2

Sr. No.	Category of Posts	Sanctioned	Filled-up	Vacant (as on 31.03.2013)
13	Driver	3	1	2
14	Class-IV	5	2	3
15	Chowkidar	1	-	1
	Total	27	12	15

The Organisation structure of the Commission is as under:-



Logo:

In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section-3 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) and other powers enabling it in this behalf, the H.P. Private Educational Institutions

Regulatory Commission which is a body corporate has adopted for official purpose the following 'Logo'.



The above logo is a representation of a universal vision for education. It represents the growth of education in the right direct through regulation and the symbol of eye as well as of abstract human figure represents both the protection of education through regulation and the watchful eye of the regulator i.e. HP-PERC. The book makes for the base of the logo which is the foundation of spreading education. The mountains represent Himachal Pradesh. Overall the logo is a symbol for promoting and directing education into bright future.

CHAPTER-3

ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE COMMISSION

Powers and functions of the Commission: The H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has been mandated to discharge the following functions under the Act.

- (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institutions to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/ Regulatory Body for the winding up of the Institution.
- (2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.
- (3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be addressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.
- (4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.
- (5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

Procedure and Powers of the Commission:

- (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
 - (c) receiving evidence on affidavits;
 - (d) requisitioning of any public record;
 - (e) issuing commission for the examination of witnesses;
 - (f) reviewing its decisions, directions and orders;
 - (g) any other matter which may be prescribed.
- (2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.
- (3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.
- (4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

Penalties:

(1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made there under, or directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees;

Provided further that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other Fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

While exercising power and discharging its duties, the Regulatory Commission ensures utmost transparency and accountability in its functioning.

CHAPTER-4

IMPLEMENTATION OF THE ACT AND ORDERS ISSUED

The Regulatory Commission with the aim to achieve the objectives and in the pursuit of discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 has taken several initiatives not only to establish the institution but also to develop regulations/systems for implementations of various regulatory provisions within the shortest possible time in view of the complex scenario of education in the private higher educational institutions of the State. The Regulatory Commission covers all the private educational institutions in the State viz., Degree Colleges, Professional Colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medical, Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, Centre of Excellence or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognised Board of School Education. There are approximately 252 institutions of higher education under the jurisdiction of Regulatory Commission in the State including 16 state private universities and 17 private engineering colleges. Geographical distribution of private higher educational institutions in the State is as under.

District	University	Engineering Technology& Management Colleges	Polytechnic Colleges	B.Ed/ M.Ed/ BP.Ed Colleges	Pharmacy/ Nursing/ Dental/ Homeopathy	Degree/Sanskrit / Law & Bio- Sciences Colleges	Total
Shimla	1	1	-	10	3	12	27
Chamba	-	-	-	2	-	5	7
Kangra	2	2	2	17	4	18	45
Hamirpur	1	2	4	12	2	11	32
Mandi	-	4	6	19	4	7	40
Sirmour	1	3	1	4	2	7	18
Una	1	2	3	4	2	15	27
Bilaspur	-	1	-	2	1	5	9
Solan	10	2	4	9	6	10	41
Kinnaur	-	-	-	1	-	-	1
L &Spiti	-	-	-	-	-	-	0
Kullu	-	-	-	3	1	1	5
Total	16	17	20	83	25	91	252

To improve education standards and implementation of regulatory norms in the institutions of higher education, wherein, more emphasis was given to the Universities in the first phase, the H. P. Private Educational Institutions Regulatory Commission has taken following initiatives during the year 2012-13.

1. Stakeholder's Consultation:

The Regulatory Commission has been working as a facilitator with Private Universities in order to improve quality of education and initiated stakeholders consultation process so as to establish future ways of working and to provide enabling regulatory environment with the State Government Agencies involved in the process

of establishment of institutions, approval of courses/fees, monitoring of norms and with the State Private Universities regarding streamlining the process and 'Building a Vision for Private University Education in the State.



Stakeholders Consultation Workshop

2. Course Approvals and Academic Review:

The Govt. of Himachal Pradesh in May, 2012 introduced an amendment in the State Private University Acts to make the HP-PERC responsible for course approvals. It also prescribes a time schedule for such approval making it mandatory by 31 December of the concerned year. To ascertain the status of courses offered by the state private universities vis-à-vis Govt. approvals, detailed scrutiny were undertaken by the Commission and initiated action against the institutions running courses without approval of the State Govt. Besides, on the recommendation of the Regulatory Commission, B. Tech integrated degree programme being offered after 10th standards at University level was discontinued by the State Government. During the academic session 2012-13, fifteen state private universities have offered Diploma/Under Graduate/Graduate/Post Graduate/Research programmes in about 49 engineering discipline(s) and 69 other courses of management(s), science(s), social science(s), law, pharmacy, etc. as per the following details.

S.	Degree/Diploma Programs	Engineering	Others	Total
No			course(s)	
1	Under Graduate Degree	24	21	45
2	Post Graduate Degree	17	16	33
3	Research Degree	3	22	25
4	Other Diploma/ Certificate	5	10	15
	course(s)			
Ove	rall status	49	69	118

The status of Course(s) offered by each State Private University vis-a-vis student's enrolment during academic session 2012-13 was as under.

Sr.	Name of University	Enrolled	Students	Total
No.		Engg.	Others	Enrolled
				Students
1	APG University, Shimla	161	119	280
2	Arni University, Kangra	210	223	433
3	Baddi University, Solan	649	214	867
4	Bahara University, Solan	421	283	704
5	Career Point University, hamirpur	52	44	96
6	Chitkara University, Solan	870	0	870
7	Eternal University, Baru Sahib,	92	144	233
	Sirmour			
8	IEC University, Solan	62	21	83
9	Indus International University, Una	87	104	191
10	Jay Pee University, Solan	420	57	477
11	Manav Bharti University, Solan	74	172	219
12	MM University, Solan	34	28	62
13	Shoolini University, Solan	454	429	883
14	Sri Sai University, Palampur	118	45	163
15	ICFAI University, Solan	0	0	0
	Total	3704	1883	5561

From the above tables, it is clear that the focus of courses being run by the universities is primarily on Engineering/Technical courses and that other courses which include

management, pharmacy, hotel management, science and art subjects are comparatively less.

The Regulatory Commission constituted a Committee to review all research programmes being run by the private universities in the State and directed the universities to remove deficiencies as noticed during review to bring their programmes in line with the UGC (Minimum Standards and Procedure for award of M.Phil/Ph.D Degrees) Regulation, 2009, which were mostly compared with.

In pursuit to bring transparency and accountability in the functioning of the Universities, after constant persuasion and reviews, the Regulatory Commission has brought all information on approved courses/ fees, students enrolled, faculty, infrastructure, academic regulations, course curriculum, degree awarded etc. on the public domain through their websites.

3 Admission Norm:

The H.P Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provided that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination. Therefore, in order to regulate admission norms especially in technical and professional courses and with a view to adopt transparent uniform cross comparable admission processes in the State, duration and entry level qualification for all technical and professional courses not to be less than the AICTE norms was prescribed and each university was directed to notify this requirement in advance on their website and prospectus for the next academic session. The Commission has streamlined the admission criteria and ensured merit based admissions in all the State Private Universities and made admission disclosure mandatory not only to the Commission but also to the public at large through their web portals.

4. Uniform Academic Calendar:

The Regulatory Commission has ensured that institutions follows a uniform academic calendar as per UGC norms (90 teaching days per semester) with the semester duration (July to December) and (January to June), which was adopted after a due


consultative process and collection of fees in two equal instalments at the beginning of each semester for all the private universities in the State and streamlined the process and prescribed timeline for advance approval of course/fees before commencement of academic session.

5. Grievance Redressal:

The Grievance Redressal of students and parents is one of the vital functions of the Regulatory Commission. In this regard, the Commission has established/put in place

the Grievance Redressal mechanism and also issued public notices through print media for general awareness. Besides, notice board(s) have also been placed in every institution for information and awareness of students, parents.

The overall status of grievance(s) received against the different private higher educational institutions in the State and action taken thereof during the year 2012-13 is as under.



Notice Board(s) displayed in every institution

Total	No.	of	Redressal through directive		Initiated	proceedings
grievanc	e(s) re	ceived	powers			of the HP-
during 2012-13	the	year	Disposed	Under process/pending decision	PERC, A	ct, 2010
	63		17	46		6

The Regulatory Commission has ordered refund amounting to Rs. 1403350/- so far for violation of norms by the different private institutions after investigation and redressal of grievance received from the parents and students. Detail is as under.

Name of Complainant	Nature of Complaint/vio lation	Name of Institution	Amount Refunded	Date of refund
Sh. P D Ajeya, DisttKangra	Refund of Fee	Shoolini University	Rs. 29000/-	27/02/2012

Rajesh Verma, HPTDC, Shimla	Refund of Fee	Bells Institute	Rs. 9000/-	30/08/2012
Madan Lal Sharma, Sanjauli,	Refund of fee	Bells Institute	Rs. 9000/-	30/08/2012
Sh. Balbir Nepta, S/o Sh. J R Nepta, TehJubbal	Refund of Fee	Pt. Gauri Shankar Memorial ,Arki, Solan	Rs. 37400/-	03/12/2012
Robin Malik, H.No. 702, Sec-7B, CHD	Refund of Fee	Bahra University	Rs. 40000/-	31/10/2012
67 Ph. D. Students of Manav Bharti University	Refund of fees on account of violation of admission norm	Manav Bharti University	Rs. 886000/-	
Sh. Vikas Kaushal, S/o Sh. R K C/o SBOP Barsar, Distt Hamirpur	Refund of Fee	Shoolini University	Rs. 29000/-	31/05/2013
225 aggrieved students of Arni University	Refund of Fine / Adjustment	Arni University	167500/-	18/07/2013
3 M. Tech Students of APG Shimla University	Refund of fess on account of violation of admission norm	APG Shimla University	196450/-	03/09/2013
Total Refund			1403350/-	

6. Financing of Commission:

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8(a) of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, the Commission has notified regulation for levy of 1% of the total fees (except refundable securities) received by the private higher educational institutions in the State every year to be credited into the fund established by the Regulatory Commission for meeting expenses required in connection with the discharge of its functions under Section 9 of the H.P. Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 and also for meeting objects and the purposes authorised by the Act. During the year 2012-13, received an amount of Rs. 15969417/-. The detail of fee realised during the year (as on 31.03.2013) is as under:

Sr. No.	Name of Institutions	Date of Receipt	Amount (in Rs.)
1	Eternal University	21.04.2012	716758
2	Indus University	02.05.2012	370619
	Himachal Institute of Education,		
3	Kalaamb	09.05.2012	257
4	Shoolini University	10.05.2012	793030
5	Chitkara University	14.05.2012	958100
6	BAHRA University	15.05.2012	886750
7	Sri Sai University	17.05.2012	437953
8	Baddi University	24.05.2012	843116
9	MM University	13.06.2012	123325
10	Arni University	19.07.2012	1341372
11	Chitkara University	24.07.2012	500000
12	Jay Pee University	09.08.2012	1059600
13	Manav Bharti University	04.09.2012	203185
14	ICFAI University	04.09.2012	8850
15	Baddi University	20.09.2012	843116
16	Neelam College of Edu,	11.10.2012	28600
17	Chitkara University	29.10.2012	1000000
18	BAHRA University	02.11.2012	838784
19	Sri Sai University	08.11.2012	307250
20	Eternal University	29.11.2012	300000
21	IIT College Kala Amb	21.12.2012	465150
22	MIT Badsar	22.01.2013	483532
23	BKD Degree College, Paonta	22.01.2013	29644

	Total		Rs. 15969417
26	BAHRA University	06.03.2013	718868
25	Gautam Polytechnic, Hamirpur	30.01.2013	49860
24	Chitkara University	30.01.2013	2661698

7. Delegation of Powers:

In exercise of the powers under rule 7(1-A) of the H.P. Pvt. Educational Institutions (Regulatory Commission) Amendment Rules, 2012, the following financial powers under various expenditure heads as per rule 19.5 of HPFR were delegated to the officers of the Commission for its smooth functioning vide order No. HP-PERC/2/Funding/2011-1401 to 1405, dated 08/11/12.

Sr. No.	Name of Expenditure Head	DDO	Secretary	Remarks		
1	Salary	Full	Full			
2	Wages	Full	Full	At the rates as approved by the H.P. Govt.		
3	Travelling Expenses	Nil	Full	Provided the Tour Programme/Tour Diary is duly approved by the competent authority.		
4	Office Expenses					
(i) a	Telephone Charges	Nil	Full			
b	New Telephone connection	Nil	Nil			
(ii)	Postage & Telegram Charges	full	Full			
(iii)	Purchase of Stationary	Nil	Full			
(iv)	Purchase of News papers, books & Periodicals	Nil	Full			
(v)	Purchase of office Machines & Equipments	Nil	Upto Rs. 50000/-	Subject to codal formalities & adjudging		
<i>(</i> •)	D 1 COCC E :	N T' 1	II . D	competitiveness of rates.		
(vi)	Purchase of Office Furniture & Fixtures	Nil	Upto Rs. 50000/-	-do-		
(vii)	Maintenance of Office Machines and furniture	Nil	Full			
(viii)	Electricity & Water Charges	Nil	Full			
(ix)	Carriage of office records	Full	Full			
(x)	Hot and cold weather charges	Nil	Full			
5	Medical Reimbursement	Nil	Upto Rs. 20000/-			
6	Liveries	Nil	Full			
7 (i)	Motor Vehicle (POL charges)	Nil	Full			
(ii)	Motor Vehicle (maintenance & repair)	Nil	Upto Rs. 20000/-			
8	Rent, Rate & Taxes	Full	Full	Subject to the rates approved by the Commission.		

9	Advances to staff	Upto	Full	Subject to adjustment of	
		Rs.		previous advance.	
		5000/-			
10	Honorarium	Full	Full	Subject to the rates	
				approved by the	
				Commission.	
11	Publication/Printing	Nil	Rs.		
	-		10000/- in		
			each case		
12	Minor Works (addition &	Nil	Upto Rs.		
	Alteration)		20000/-		
13	Professional & Special	Nil	Full	Subject to norms fixed by	
	Services			the Commission.	

8. Inspections:

To ascertain the standards of admission, teaching, examination, research, faculty and infrastructure being maintained by the institution in accordance with the Central/State Regulatory bodies norms and/or guidelines issued by the Central/State Government and compliance of statutory provisions as per Act/Statutes of the University from time to time, the Regulatory Commission under Section 9(4) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010, has notified the 'Inspection Schedule' for Private Higher Educational Institutions in the State to be conducted by the Commission itself or through 'Expert Committees' to be constituted for the purpose from time to time. In this regard, inspections of the following Private Education Institutions were conducted by the Regulatory Commission during the year 2012-13:-

S.	Name of University/Institution	Date of Inspection
No.		
1.	Chitkara	19.02.2013 & 20.02.2013
2.	ICFAI University	27.02.2013
3.	Baddi University of Emerging Sciences & Technology	27.02.2013 & 28.02.2013
4.	APG University	05.03.2013 & 06.03.2013
5.	Arni University	15.03.2013 & 16.03.2013
6.	Manav Bharti University	19.03.2013 & 20.03.2013

9. Meeting(s)/ Workshop(s):

To improve the educational standards and systems within the Universities, the Regulatory Commission has organised the following important meeting(s)/workshop(s) with various State agencies/institutions during the year 2012-13 and a brief detail of the event(s) is as under:-

S. No.	Date	Participating institution(s)	Subject matter of the meeting
1	3.4.2012	Vice Chancellors and	Adoption of uniform admission norms
		Registrars of State Private	to Management and Professional
		Universities.	courses during the year 2012-13.
2	27.7.2012	Vice Chancellors of State	Workshop on "Achievement of
		Private Universities.	Quality in Technical Education" in
			collaboration with the National Board
			of Accreditation (NBA).
3	6.8.2012	Registrars of State Private	Conduct of offline/online Mock Test
		Universities and other	series Govt. Senior Secondary Schools
		Govt. functionaries of	of H.P. by the State Private
		Higher Education	Universities.
		Department, H.P.	
4	17.1.2013	Vice-Chancellors of the	HR Conclave 2013-Building People
		State Private Universities	for a Better Tomorrow: Industry-
		and Principals of	Academia Partnerships.
		Engineering Colleges.	
5.	2.2.2013	Vice-Chancellors of the	Adoption of National Vocational
		State Private Universities	Education Qualifications Framework
		and Principals of	(NVEQF).
		Engineering Colleges.	

10. Implementation of RTI Act, 2005:

For implementation of the Right to Information Act, 2005, the Regulatory Commission has notified the following Public Information Officer and Appellate Authority.

Name	Designation	Telephone No.				
		Office/Mobile	Residence			
Appellate Authority						
Mrs. Sarojini G.Thakur	Chairperson	0177-2629665	0177-2627125			
		9418024455				
Public Information Officer	Public Information Officer					
Dr. Manoj Chauhan	Secretary	0177-2629663	0177-2628533			
		9418044033				

The status of request for obtaining information under Section 6 of the Right to Information Act, 2005 during the year 2012-13 is as under.

No. of request/application(s) received	Replied	Transferred	Appeals
36	27	9	NA

11. Other Academic Initiatives:

Higher education especially technical education has made a significant contribution to economic development, social, progress and political democracy in independent

India. In recent years, there has been a proliferation of educational institutes especially in the higher education sector and the State has also witnessed exponential growth particularly in technical and management institutions being set up mostly through private capital. In order to develop recognition of the quality and nature of technical courses both nationally and overseas, it is critically important that they meet



Addresses by the Chairperson, HP-PERC in 1st World Summit on Accreditation (WOSA-2012)

certain objectively assessed criteria. In this pursuit, the Regulatory Commission in collaboration with the National Board of Accreditation, which is a recognised body for

accrediting individual technical courses in India, organised a familiarisation workshop for the state private universities and other private educational institutions about the quality parameters in technical education and also the processes involved in carrying out assessment and accreditation. As a result of which, degrees from accredited institution would enhance the employability of technical graduates and would also facilitate mobility of people for academic pursuit, as well as exploring job opportunities globally.

Besides, to bridge the quality gap and augment greater synergy between educational

institutions and industries the H.P. Private Educational Institutions Regulatory Commission in association with the CII (Himachal Pradesh) had jointly organised HR Conclave 2013 on 17 January 2013 at Chandigarh. The objective of the programme was to create linkages between industry and academia to bridge



HR Conclave at Chandigarh

the talent deficit and combat the challenges of changing demographic profile.

CHAPTER-5

PENALTIES IMPOSED AND AMOUNT RECOVERED FROM VARIOUS DEFAULTING INSTITUTIONS

During the year 2012-13, the Regulatory Commission has instituted the following proceedings for major violations under Section 11 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 which provides for imposition of penalties for contravention of the provisions of the Act, Rules and regulations made thereunder. Whereas, the Rule 6 of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Rules, 2011, lays down the minimum and maximum limit of the penalty to be imposed under Section 11 of the Act No. 15 of 2011. The detail of proceedings initiated by the Regulatory Commission under Section 11 of the aforesaid Act is as under.

Sr.	Case No.	In the Matter	Date of Final
No.			Orders.
1	2 of 2012	Business Institute of Management Studies, Bemloe Shimla.	Pending for decision.
2	3 of 2012	Business Institute of Management Studies , Bemloe Shimla	Pending for decision.
3	5 of 2012	Baddi University of Emerging Science and Technology, Makhnumajra, Baddi, Distt. Solan	Pending due to High Court stay in the matter
4.	6 of 2012	Bells Institute of Management and Technology, Knowledge City, Mehli Shimla	10/04/2013
5	7 of 2012	Pt. Gaurishankar Memorial Polytechnic, Dev Nagar, P.O. Bakhalag, Tehsil Arki, Distt. Solan	Pending for decision.
6	8 of 2012	Manav Bharti University, Village Laddo, P.O. Sulatan Pur, Distt. Solan	Pending for decision.
7	9 of 2012	Green Hills Engineering College, Kumarhatti, Distt. Solan.	05/10/20113

Due to Court stay/order on imposition of penalties in CWP No.10140/2012, no proceedings against the State Private Educational Institutions for the contravention of regulatory norms could be finalised by the Regulatory Commission during the year 2012-13.

CHAPTER-6 OTHER OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

System improvement through enabling regulatory mechanism:

To promote enabling regulatory environment, information technology is being used as a tool both at the institutions as well as regulatory levels as a path-breaking strategy and approach with quick sharing of information useful to combat malpractice at all levels and reducing discretion in regulating the system. Since beginning emphasises is being made to bring transparency and accountability in the functioning of the institutions, after constant persuasion and reviews the Regulatory Commission has brought all information on approved courses/ fees, students enrolled, faculty, infrastructure, academic regulations, course curriculum, degree awarded etc. on the public domain through their websites.

Besides, the Regulatory Commission in technical collaboration with the Department of Information Technology, Govt. of Himachal Pradesh has initiated development of a web application for monitoring of various regulatory provisions related to standards of admission,

teaching, examination, research, extension programme, faculty, infrastructure and grievance redressal etc. in the private higher educational institutions in the State. Also the Grievance Redressal of students parents is one of the vital functions of the Regulatory Commission. In this regard, the Regulatory Commission developed an application for online redressal of grievances, where the grievances can be registered/submitted on line and



Snapshot of web applications developed by the Regulatory Commission

the same will be processed online and applicant without visiting the office will know the status of his/her grievance and action taken thereon.

CHAPTER-7

ACCOUNTS OF THE COMMISSION

The Regulatory Commission has been envisioned as a self financing mechanism. The Govt. of Himachal Pradesh has provided Rs. 70.00 lakhs as loan for its initial establishment during the year 2011-12. The Section 8(a) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 provides for levy of maximum of 1% of the total fees collected by the private educational institutions for carrying out its various functions. This is apart from penalties. No further allocation of funds is made by the Commission as it has no subordinate offices. All the receipts and payments of the Commission were regulated through Commission's own Fund as established under the aforesaid Act. The Annual Accounts of the Commission for the year 2012-13 were prepared on the prescribed formats as contained in the Fund Rules. The accounts of the Commission are being prepared in the shape of Receipt and Payment Account, Income & Expenditure Account and Balance Sheet. The Annual Accounts would be laid before the State Legislative Assembly after completion of audit in terms of requirement of Section 13(2) of the Act ibid.

The Annual Accounts of the Regulatory Commission for the year 2012-13 is as under:

S.	Particular		Amount in Rupees
No. 1	Opening Balance	53,56,260.00	
	Receipt	U/S 8(a) of HPPERC Act,2010	1,59,69,417.00
2		Penalty/Fine	1,00,00,,000.00
		Interest	2,61,504.00
		Misc. Receipt	17,555.00
3	Total (1+2)	3,16,04,736.00	
4	Expenditure	Capital Expenditure	19,84,938.00
		Revenue Expenditure	78,08,724.00
5	Advances to staff	& others	4,21,573.00
6	Total (4+5)		1,02,15,235.00
7	Closing Balance (3-7) FDR Amoun		1,50,00000.00
		Savings A/C	63,89,501.00
8	Total (4-6)		3,16,04,736.00


Income & Expenditure for the year 2012-13:

Expenditure	Income		
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Salary/Wages to staff	6377299.00	Fee Collected	15969417.00
Motor vehicle maintenance	53475.00	Fine/Penalty realised	10000000.00
Vehicle POL charges	209471.00	Misc. Receipt	17555.00
Electricity & Water charges	66634.00	Interest accrued	261504.00
Medical reimbursement	47635.00		
Postage & Telegram	20000.00		
Office Expenses	145446.00		
Telephone Charges	121398.00		
Travelling Allowance	54969.00		
Stationery	26914.00		
Advertisement expenses	162538.00		
Consultancy Charges	46500.00		
Vehicle Insurance	21291.00		
Taxi Charges	86587.00		
Bank charges	1151.50		
Workshop & Training	254009.00		
Inspection Expenses	68091.00		
Expert Committee Meeting exp.	18534.00		
Depreciation	793467.55		
Excess of Income over	17673065.95		
Expenditure			
Total	26248476.00		26248476.00

Balance Sheet as at 31.3.2013:

Liabilities		Assets	
Particulars	Amount	Particulars	Amount
	(Rs.)		(Rs.)
Loan from the State Govt.	7000000	Furniture & Fixtures	694249.20
Excess of income over	17673065.95	Electrical Equipments	184937.90
Expenditure			
Less excess of expenditure	-29138.00	Computers	285050.40
over income		Vehicles	1436590.95
Current Liabilities:		Library Books	1734.00
Amount payable	117772.00	Advances outstanding	717409.00
		Pre-paid insurance	52227.00
		Fixed Deposit	15000000.00
		Cash at Bank	6389501.50
		(Saving A/C)	
Total	24761699.95	Total	24761699.95

(Figures are unaudited)



Pie Diagram showing receipt and expenditure amount (in lakhs) for the year 2012-13



HP-PERC

वार्षिक रिपोर्ट 2012-13

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग

मजीठा हाउस कॉमपलैक्स, शिमला—171002 दूरभाषः **0177-2629663, 2629665**, फैक्स: **0177-2629663**

विषय—सूची

_		1
क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-2
2	आयोग की संघटना	3-4
3	आयोग के कार्य एवं दायित्व	5-7
4	अधिनियम तथा ज़ारी किए गए आदेशों का कार्यान्वयन	8—18
5	विभिन्न चूक करने वाली संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा प्राप्त राशि	19
6	अन्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें	20
7	आयोग के लेखे	21-23

अध्याय-1

प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 की अधिनियम संख्या 15) की धारा 3 के अधीन राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराते हुए, प्रवेश, अध्ययन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम तथा निजी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हेतु समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) नियम, 2011 में सेवा शर्तें, निदेशात्मक शक्तियां, निधि संचालन, दण्ड आदि अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी विभिन्न परिचालन पहलू शामिल किए गये हैं। इस अधिनियम के उपबन्ध अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित नियम अथवा आदेश वर्तमान समय में प्रचलित किसी अन्य विधि पर कोई असंगत प्रभाव नहीं डालेगें।

विनियामक आयोग की भूमिका तथा कार्य के सन्दर्भ में निम्नलिखित विधान, नियम तथा विनियम महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय हैं:—

- हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010: भारतीय गणतन्त्र के इक्सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा यह विधान प्रख्यापित किया गया, जिसके अन्तर्गत राज्य में प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान तथा निजी उच्च शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा एतद सम्बन्धी विषयों एंव आनुषंगिक मामलों के लिए समुचित मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग तथा विनियामक तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम और विनियम।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानक स्थापित करना तथा उनका संचारण) विनियम, 2003।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल/पी.एच.डी. डिग्रियां प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम, 2009।
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 तथा इसके अधीन बनाए गये नियम एवं विनियम।
- अन्य राज्य / केन्द्रीय विनियामक निकायों के अधिनियम / नियम / विनियम जिनमें मानक एंव
 मापदण्ड निर्धारित किए गये हों तथा जिनका सम्बन्ध उच्च शिक्षा की गुणवता से हो।

वा० रि० 2012-13]

उच्च शिक्षा के प्रति दृष्टिः हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग, सरकार, केन्द्रीय विनियामक निकायों तथा संस्थाओं के सहयोग से गुणवता वाली उच्च शिक्षा सुविधांए उपलब्ध करवाने में अपनी भागीदारी निभा रहा है जिसके लिए निम्न दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है:—

''हिमाचल प्रदेश को उच्च शिक्षा गुणवता तथा विद्यार्थियों की पहली पसन्द वाला अभिज्ञात शिक्षा केन्द्र बनाना''

सार मूल्यः विधान की परिधि के भीतर उच्च शिक्षा विजन की प्राप्ति के दृष्टिगत विनियामक आयोग निम्नलिखित सार मूल्य स्थापित करने हेतू वचनबद्ध है:—

- उच्च शिक्षा गुणवता के प्रति 100% वचनबद्धता।
- पारदर्शिता।
- सत्यनिष्ठा।

वा० रि० 2012-13]

अध्याय-2

आयोग की संघटना


आयोग का गठनः हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या इ.डी.एन—ए—क—(3)—12/2009 दिनांक 27.07.2011 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत श्रीमती सरोजिनी गंजू ठाकुर को उनकी कार्यग्रहण तिथि (अर्थात 04.08.2011) से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, विनियामक आयोग की संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. इ.डी.एन—ए—क—(3)—12/2009 दिनांक 02.07.2012 को प्रो. जगत भूषण नडडा को उनकी कार्यग्रहण तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

आयोग का कर्मचारी वर्गः हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः दिनांक 20.07.2011 तथा 13.01.2012 को जारी अधिसूचना संख्या इ.डी.एन—ए—क—(3)—12/2009 के द्वारा प्रारम्भ में विभिन्न वर्गों के 27 पद सृजित किए गये। दिनांक 31.03.2012 तक स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम संख्या	पदों का वर्ग	स्वीकृत	भरे गये	रिक्त
				(31.03.2013)
1	अध्यक्षा	1	1	_
2	सदस्य	1	1	_
3	सचिव	1	1	_
4	परामर्शदाता	2	1	1
5	विधि अधिकारी	1	_	1
6	प्रोग्रामर	1	_	1
7	वित्त अधिकारी	1	1	_
8	निजी सचिव	1	_	1
9	निजी सहायक	3	1	2
10	वरिष्ठ सहायक	2	1	1
11	लिपिक	1	1	_
12	डीईओ	3	1	2
13	चालक	3	1	2
14	चतुर्थ श्रेणी	5	2	3
15	चौकीदार	1	_	1
	योग	27	12	15

पु॰ 3

आयोग की संघटनात्मक संरचना:-



चिह्न:

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 के (अधिनियम सं० 2011के 15) अनुभाग—3 की उप—धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में अन्य अधिकार, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कार्यालयीन प्रयोजन के लिए निम्न 'चिह्न' स्वीकृत कियाः



उपर्युक्त चिहन सार्वभौमिक लोगों की शिक्षा के लिए दूरदृष्टि प्रदर्शित करता है। यह विनियमन के माध्यम से शिक्षा के विकास और अमूर्त मानव—नेत्र आकृति, शिक्षा के विनियमन और संरक्षण दोनों का प्रतिनिधित्व करती है, जो HP-PERC है। पुस्तक इस चिहन का आधार है जो शिक्षा के विस्तार की नींव है। पहाड़ हिमाचल प्रदेश को प्रदर्शित करते हैं। समग्र रूप से यह चिहन उज्जवल भविष्य में शिक्षा को बढाने और निर्देश का प्रतीक है।

[वा० रि० 2012-13]

अध्याय-3

आयोग के कार्य एवं दायित्व

आयोग की शक्तियां एवं कत्तर्व्यः हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग को अधिनियम के तहत निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- (1) आयोग का यह दायित्व होगा कि वह केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा समय—समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश, अध्यापन, परीक्षा, विस्तार कार्यक्रम, योग्य अध्यापकों तथा आधारभूत संरचना के मानक अपनाए जा रहे हैं। निर्धारित मानक न अपनाए जाने की स्थिति में आयोग का ऐसे शिक्षण संस्थाओं को अधिनियम की धारा 11 के अधीन दण्ड देने की शक्तियां प्राप्त होगी, किसी संस्था द्वारा बार—बार गलती किए जाने की स्थिति में आयोग को ऐसी संस्था को बन्द किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार/विनियामक निकाय को अपनी सिफारिश भेजने का अधिकार प्राप्त होगा।
- (2) आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा।
- (3) आयोग विद्यार्थियों तथा माता—पिता से प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु यथोचित तंत्र विकसित करेगा तथा निजी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश देगा कि आयोग को भेजी गई शिकायतों के निराकरण हेतु उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें। ऐसी शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा निर्धारित समय अवधि के भीतर करना होगा एतद् सम्बन्धी किए गये उपायों का विस्तृत विवरण भी रखना होगा।
- (4) जब कभी भी आवश्यक हो आयोग, निजी शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण कर सकता है तथा ऐसे निरीक्षण किसी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से भी करवाए जा सकते हैं।
- (5) आयोग को निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की संवीक्षा करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

पु॰ 5

आयोग की प्रक्रिया तथा शक्तियाः

- (1) आयोग को निम्नलिखित मामलों में इस अधिनियम के अधीन की जाने वाली किसी जाँच अथवा प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में वही शक्तियां प्राप्त होगी जो कि किसी सिविल न्यायालय को आचार दण्ड संहिता 1908 (1905 की 5) के अधीन प्राप्त हैं:—
 - (क) किसी व्यक्ति को बुलाने अथवा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा उससे शपथ दिलाकर पूछताछ करना।
 - (ख) किसी दस्तावेज़ अथवा अन्य सामग्री को साक्ष्य के रूप में प्राप्त तथा प्रस्तुत करना।
 - (ग) शपथ-पत्र के आधार पर साक्ष्य प्राप्त करना।
 - (घ) किसी सार्वजनिक रिकार्ड को मांगना।
 - (ड) गवाहों के परीक्षण हेतु आयोग के निर्देश ज़ारी करना।
 - (च) निर्णयों, निदेशों तथा आदेशों को जारी करना।
 - (छ) कोई ऐसा अन्य मामला जो विहित हो।
- (2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई अथवा मामले में अन्तरिम आदेश ज़ारी करने की शक्तियां प्राप्त होगी जो वह उचित समझे।
- (3) आयोग अपनी कार्यवाही के दौरान विद्यार्थियों तथा माता—पिता के हितों की पैरवी करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है जिसे वह उचित समझे।
- (4) इस अधिनियम के अधीन सभी विवादों का निर्णय आचार दण्ड संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार सरसरी तौर पर किए जायेंगे।

दण्ड:

(1) अधिनियम के किसी उपबन्ध अथवा इसके अधीन निर्मित नियमों अथवा विनियमों अथवा आयोग द्वारा ज़ारी निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति में आयोग दण्ड दे सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया हो, परन्तु ऐसे दण्ड की राशि एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं होगी।

उपबधिंत है कि दूसरी बार अथवा बार—बार किए जाने वाले ऐसे उल्लंघनों की स्थिति में पांच करोड़ रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

इसके साथ ही यह भी उपबन्धित है कि सम्बधित संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

[वा० रि० 2012-13]

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गये दण्ड की राशि की वसूली सम्बधिंत शिक्षण संस्था की स्थायी निधि अथवा किसी अन्य निधि से भू—राजस्व के बकाए के रूप में की जायेगी।

अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करते हुए आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्य प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है।

[वा० रि० 2012-13]

अध्याय-4

अधिनियम तथा जारी किए गये आदेशों का कार्यान्वयन

विनियामक आयोग द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति एवं कार्यों के निर्वहन हेतु हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन न केवल संस्था की स्थापना हेतु पहल की गई अपितु प्रदेश की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त जिटल शैक्षिक परिदृष्य के दृष्टिगत कम से कम समय में विभिन्न विनियामक प्रावधानों को कार्यान्वित करके विनियमों / पद्धित को भी विकसित किया है। विनियामक आयोग के अन्तर्गत किसी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर राज्य की सभी निजी शिक्षण संस्थाएं अर्थात डिग्री कॉलेज, व्यावसायी शिक्षा महाविद्यालय, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फार्मेसी, पैरामेडिकल संस्थान एवं विश्वविद्यालय, विशिष्ट केन्द्र अथवा उच्च शिक्षा प्राप्ति से सम्बधित कोई भी अन्य शैक्षिक संस्था शामिल हैं। विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य की लगभग 252 उच्च शिक्षा संस्थाएं हैं जिनमें 16 राज्य निजी विश्वविद्यालय तथा 17 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज सिम्मिलत हैं। राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं का भौगोलिक विभाजन निम्न प्रकार से हैं:

जिला	विश्वविद्यालय	इंजीनियरिंग प्रौद्यौगिकी एवं प्रबंधन कॉलेज	पॉलिटेक्निक कॉलेज	बी.एड. / एम.एड. / बी.पी. एड कॉलेज	फार्मेसी / नर्सिंग / होम्योपैथी / डेंटल कॉलेज	डिग्री / संस्कृत / कानून और जैव विज्ञान कॉलेज	कुल
शिमला	1	1	-	10	3	12	27
चंबा <u> </u>	-	-	-	2	-	5	7
कांगड़ा	2	2	2	17	4	18	45
हमीरपुर	1	2	4	12	2	11	32
मंड <u>ी</u>	-	4	6	19	4	7	40
सिरमौर	1	3	1	4	2	7	18
उ ना	1	2	3	4	2	15	27
बिलासपुर	-	1	-	2	1	5	9
सोलन	10	2	4	9	6	10	41
किन्नौर	-	-	-	1	-	-	1
लाहुल	-	-	-	-	-	-	0
एवं स्पीति				0	4	4	-
कुल्लू योग	-	-	-	3	1	1	5
योग	16	17	20	83	25	91	252

पु॰ 8

उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में विनियामक मानक लागू करने की दिशा में पहले चरण में विश्वविद्यालयों पर अधिक बल दिया जा रहा है। विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित पहल की गई:–

1. पणधारियों से विचार-विमर्शः

शिक्षा की गुणवता में सुधार लाने की दिशा में विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों के लिए

एक सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा कर रहा है, इसी के दृष्टिगत पणधारियों के साथ विचार—विमर्श प्रक्रिया आरम्भ की गई है तािक संस्थाएं स्थापित करने, पाठ्यक्रमों / शुल्क का अनुमोदन, राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया एवं दृष्टि हेतु मानक तय करने सम्बन्धी आगामी उपाय अमल में लाए जा सकें।



पणधारियों के साथ विचार-विमर्श कार्यशाला

2. कोर्स अनुमोदन और अकादिमक समीक्षाः

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मई, 2012 में HP-PERC को कोर्स अनुमोदन के लिए जिम्मेदार बनाने हेतू राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में एक संशोधन पेश किया। ऐसे अनुमोदन के लिए, संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर तक इसे अनिवार्य बनाने के लिए एक समय अनुसूची का प्रावधान किया गया। राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा आरम्भ किए गये पाठ्यक्रमों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के आशय से आयोग द्वारा सरकारी अनुमोदनों के सम्बन्ध में विस्तृत छानबीन की गई तथा ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई जो राज्य सरकार की अनुमित के बिना पाठ्यक्रम चला रही हैं। इसके अतिरिक्त विनियामक आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर 10वीं कक्षा के पश्चात चलाए जाने वाले एकीकृत बी.टैक डिग्री कार्यक्रम को बन्द किया गया। 2012—13 शैक्षणिक सत्र के दौरान राज्य के 15 निजी विश्वविद्यालयों को डिप्लोमा/अंडर ग्रेजुवेट/ग्रेजुवेट/पोस्ट ग्रेजुवेट/अनुसंधान कार्यक्रमों के अर्न्तगत लगभग 49 इंजीनियरिंग शिक्षण तथा प्रबन्धन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि, फार्मेसी आदि के 69 अन्य पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमित प्रदान की गई जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम संख्या	डिग्री / डिप्लोमा कार्यक्रम	इंजीनियरिंग	अन्य पाठ्क्रम	कुल
1	अंडर ग्रेजुएट	24	21	45
2	पोस्ट ग्रेजुएट	17	16	33
3	अनुसंधान डिग्री	3	22	25

[वाo रिo 2012-13] पृo 9

4	अन्य डिप्लोमा / सर्टिफिकेट	5	10	15
	पाठ्यक्रम			
कुल स्थिति		49	69	118

अकादिमक सत्र 2012—13 के दौरान प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाली पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) की स्थिति तथा दाखिल किए गये विद्यार्थियों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	दाखिल किए गये छात्र		कुल दाखिल किए गये
राज्या		इंजीनियरिंग	अन्य	চার ভার
1	ए पी जी विश्वविद्यालय, शिमला।	161	119	280
2	अर्नी विश्वविद्यालय, कांगड़ा	210	223	433
3	बद्दी विश्वविद्यालय, सोलन ।	649	214	867
4	बाहरा विश्वविद्यालय, सोलन।	421	283	704
5	कैरियर पाँइट विश्वविद्यालय, हमीरपुर।	52	44	96
6	चितकारा विश्वविद्यालय, सोलन।	870	0	870
7	इटरनल विश्वविद्यालय, बारू साहिब, सिरमौर ।	92	144	233
8	आई ई सी विश्वविद्यालय, सोलन ।	62	21	83
9	इंडस विश्वविद्यालय, ऊना ।	87	104	191
10	जे पी विश्वविद्यालय, सोलन ।	420	57	477
11	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन ।	74	172	219
12	एम एम विश्वविद्यालय, सोलन ।	34	28	62
13	शूलिनी विश्वविद्यालय, सोलन ।	454	429	883
14	श्री साई विश्वविद्यालय पालमपुर ।	118	45	163
15	इकफाई विश्वविद्यालय, सोलन ।	0	0	0
	<u>क</u> ुल	3704	1883	5561

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि विश्वविद्यालयों द्वारा मूल रूप से इंजीनियरिंग / तकनीकी पाठ्यक्रमों पर अधिक बल दिया जा रहा है जहां तक प्रबन्धन, फार्मेसी, होटल प्रबन्धन, विज्ञान तथा कला विषयों का सम्बन्ध है इनकी ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, 2011 में राज्य निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करते हुए पाठ्यक्रमों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन अनिवार्य किया गया है जब तक कि पहला बैच उतीर्ण नहीं हो जाता।

विनियामक आयोग द्वारा राज्य में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त अनुसंधान कार्यक्रमों की संवीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है और विश्विद्यालयों को यह निर्देश भी दिए गये हैं कि वे सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करते हुए अपने कार्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009, जो ज्यादातर के साथ की तुलना में थे, के अनुरूप बनाए (एम.फिल/पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया)

विश्वविद्यालयों की कार्य पद्धित में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित करने के उद्देश्य से विनियामक आयोग द्वारा निरन्तर समीक्षा तथा प्रतिपादन के पश्चात अनुमोदित पाठ्यक्रमों / शुल्क, दाखिल किए गये विद्यार्थी, संकाय आधारभूत संरचना, अकादिमक विनियम, विषय पाठ्यक्रम, प्रदान की गई डिग्री आदि से सम्बिधंत सभी प्रकार की सूचना अपनी वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र को उपलब्ध करवाया गया है।

प्रवेश मानदण्डः

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 में प्रावधान किया गया है कि निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता के आधार पर दिया जाए। किसी प्रकार की राष्ट्र स्तरीय अथवा राज्य स्तरीय अथवा किसी अन्य सामान्य परीक्षा की व्यवस्था न होने की स्थिति में योग्यता का निर्धारण सुनिश्चित रूप से अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अकों पर आधारित होगा। अतः प्रवेश मानदंडों, विशेष रूप से व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश विनियमित करने तथा राज्य में एक समान प्रतितुलनीय प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश स्तरीय योग्यताएं AICTE द्वारा स्थापित मानदंडों से कम नहीं होगी तथा प्रत्येक विश्वविद्यालय को निर्देश दिए गये हैं इस आवश्यकता को पहले ही अपनी वेबसाईट तथा आगामी अकादमिक सत्र की विवरण—पत्रिका में अधिसूचित करें। आयोग द्वारा प्रवेश मापदण्ड को कारगर बनाते हुए सभी निजी विश्वविद्यालयों में योग्यता पर आधारित प्रवेश सुनिश्चित करते हुए एतद् सम्बन्धी सूचना न केवल आयोग को अपितु सभी वर्ग के लोगों की सूचना हेतु उनके वेबसाईट पोर्टलस में आवश्यक रूप में शामिल करने के निर्देश भी दिए गये हैं।

4. एक समान अकादिमक कलैन्डरः

विनियामक आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुसार एक समान अकादिमक कलैन्डर का अनुसरण करता है जिसके अनुसार (प्रत्येक समेस्टर के लिए 90 अध्यापन दिवस) तथा (जुलाई से दिसम्बर) तथा (जनवरी से जून) निश्चित की गई है, राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय समयक विचार—विमर्श के पश्चात प्रत्येक समेस्टर के आरम्भ में दो समान किस्तों में फीस वसूल करेंगे तथा अकादिमक सत्र आरम्भ होने से पूर्व पाठ्यक्रम / फीस सम्बन्धि अनुमोदन निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम रूप में तय करेंगे।

5. शिकायत निवारणः

विद्यार्थियों एवं माता-पिता की शिकायतों का निवारण विनियामक आयोग के कार्यों में से एक

महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा सामान्य जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है तथा इसकी सूचना प्रिंट मिडिया के माध्यम से भी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों तथा माता—पिता को जागरूक करने तथा सूचना के लिए प्रत्येक संस्था में नोटिस बोर्ड भी लगाए गये हैं।



सभी संस्थाओं मे लगे सूचना पट

वर्ष 2012—13 के दौरान विभिन्न निजी उच्च शिक्षा संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

वर्ष 2012—13 के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें			हि. प्र. निजी (विनियामक आयोग) की धारा 11 के कार्यवाही	अधिनियम, 2010
	निपटाई गई शिकायतें	प्रक्रियाधीन / लंबित		
63	17	46	6	

विभिन्न निजी संस्थाओं द्वारा किए गए मानदंडों का उल्लंघन के लिए, माता पिता और छात्रों से मिली शिकायत के निवारण और जांच के बाद विनियामक आयोग द्वारा रु 1403350 / – की राशि को वापिस करने का आदेश दिया गया। विवरण निम्नानुसार है:

शिकायतकर्ता का	शिकायत / उल्लंघन	संस्था का नाम	वापिस की गई	वापसी की
नाम	की प्रकृति		राशि	तारीख
पी डी अजेया,	शुल्क की वापसी	शूलिनी	रु 29000 ∕ −	27.02.2012
जिला–कांगड़ा		विश्वविद्यालय		
राजेश वर्मा,	शुल्क की वापसी	बैल्ज़ इंस्टीटयूट	रु 9000 ∕ −	30.08.2012
HPTDC, शिमला				
मदन लाल शर्मा,	शुल्क की वापसी	बैल्ज इंस्टीटयूट	रु 9000 ∕ −	30.08.2012
संजौली				

पुठ 12

बलबीर नेपटा,	शुल्क की वापसी	पं. गौरी शंकर	₹ 37400 / -	03.12.2012
जुब्बल		मेमोरियल, अर्की,		
		सोलन		
रोबिन मलिक,	शुल्क की वापसी	बाहरा	रु 40000 ∕ −	31.10.2012
H.No. 702, Sec-		विश्वविद्यालय		
7B, CHD				
मानव भारती	प्रवेश के आदर्श के	मानव भारती	रु 886000 ∕ −	
विश्वविद्यालय के	उल्लंघन पर शुल्क	विश्वविद्यालय		
पी एच डी के 67	की वापसी			
<u></u> ভার				
विकास कौशल,	शुल्क की वापसी	शूलिनी	रु 29000 ∕ −	31.05.2013
बड़सर, हमीरपुर		विश्वविद्यालय		
अर्नी	जुर्माने की वापसी	अर्नी	रु 167500 ∕ −	18.07.2013
विश्वविद्यालय के	/ समायोजन	विश्वविद्यालय		
225 पीड़ित छात्र				
ए पी जी शिमला	प्रवेश के आदर्श के	ए पी जी शिमला	रु 196450 ∕ −	03.09.2013
विश्वविद्यालय के	उल्लंघन पर शुल्क	विश्वविद्यालय		
M. Tech के	की वापसी			
চার				

आयोग का वित्तप्रबन्धः

विनियामक आयोग द्वारा स्वतः वित्ततंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। अतः आयोग द्वारा हि. प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हि.प्र. निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 के अधीन उसे सौपें गये कार्यों के निर्वहन तथा उद्देश्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य में स्थापित निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जाने वाली कुल फीस (वापिस की जाने वाली प्रतिभूति राशि को छोड़कर) का 1% भाग विनियामक आयोग द्वारा स्थापित निधि में जमा करने हेतु विनियम अधिसूचित किए गये हैं। वर्ष 2012—13 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा 1,59,69,417 / — रूपये की राशि प्राप्त की। वर्ष (31.03.2013 तक) के दौरान आकलित फीस तथा वसूली गई राशि का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम	संस्था का नाम	प्राप्ति की तिथि	प्राप्त राशि
संख्या			(राशि रूपये में)
1	इटरनल विश्वविद्यालय	21.04.2012	716758
2	इंडस विश्वविद्यालय	02.05.2012	370619
3	हिमाचल शिक्षा संस्थान, कालाअंब	09.05.2012	257
4	शूलिनी विश्वविद्यालय	10.05.2012	793030
5	चितकारा यूनिवर्सिटी	14.05.2012	958100
6	बाहरा विश्वविद्यालय	15.05.2012	886750
7	श्री साई विश्वविद्यालय	17.05.2012	437953
8	बद्दी विश्वविद्यालय	24.05.2012	843116
9	एम एम विश्वविद्यालय	13.06.2012	123325
10	अर्नी विश्वविद्यालय	19.07.2012	1341372
11	चितकारा विश्वविद्यालय	24.07.2012	500000
12	जेपी विश्वविद्यालय	09.08.2012	1059600
13	मानव भारती विश्वविद्यालय	04.09.2012	203185
14	इकफाई विश्वविद्यालय	04.09.2012	8850
15	बद्दी विश्वविद्यालय	20.09.2012	843116
16	नीलम शिक्षा संस्थान	11.10.2012	28600
17	चितकारा यूनिवर्सिटी	29.10.2012	1000000
18	बाहरा विश्वविद्यालय	02.11.2012	838784
19	श्री साई विश्वविद्यालय	08.11.2012	307250
20	इटरनल विश्वविद्यालय	29.11.2012	300000
21	आई आई टी कॉलेज, कालाअंब	21.12.2012	465150
22	एम आई टी, बडसर	22.01.2013	483532
23	बी के डी डिग्री कॉलेज, पौंटा	22.01.2013	29644
24	चितकारा यूनिवर्सिटी	30.01.2013	2661698
25	गौतम पोलीटेक्निक, हमीरपुर	30.01.2013	49860
26	बाहरा विश्वविद्यालय	06.03.2013	718868
	कुल		रूपये 15969417/-

7. शक्तियों का प्रत्यायोजनः

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) संशोधन नियम, 2012, के नियम 7(1-A) के अधीन शक्तियों के अंतर्गत निम्निलखित वित्तीय शक्तियों, HPFR के नियम 19.5 के विभिन्न व्यय शीर्षों के अनुसार, आयोग के अधिकारियों को इसके सुचारू कार्यकरण के लिए आदेश सं० HP-PERC/2/Funding/2011-1401 से 1405, दिनांक 08/11/2012 से प्रत्यायोजित किए गए।

क्रम संख्या	व्यय का शीर्षक	डी.डी.ओ.	सचिव	टप्पिणियां
1	व्तन	पूर्ण	पूर्ण	
2	म्जदूरी	पूर्ण	पूर्ण	हि.प्र. सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर।
3	यात्रा व्यय	शून्य	पूर्ण	प्रदान किया गया दौरा कार्यक्रम/दौरा डायरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित।
4	कार्यालय खर्चे			
(i) a	दूरभाष खर्च	शून्य	पूर्ण	
b	नये दूरभाष कनेक्शन	शून्य	शून्य	
(ii)	डाक एंव तार	पूर्ण	पूर्ण	
(iii)	स्टेशनरी	शून्य	पूर्ण	
(iv)	समाचार पत्रों, पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकों की खरीद।	शून्य	पूर्ण	
(v)	कार्यालय मशीने और उपकरणों की खरीद।	शून्य	रू. 50000 / — तक	समस्त संहितागत औपचारिकताओं का पालन करने के लिए प्रतिस्पर्धा और इस दौरान लगाई गई शर्त दरें
(vi)	ऑफिस फर्नीचर और उपस्करों की खरीद	शून्य	रू. 50000 / — तक	-do-
(vii)	कार्यालय मशीन और फर्नीचर का रख-रखाव	शून्य	पूर्ण	
(viii)	बिजली और पानी	शून्य	पूर्ण	
(ix)	कार्यालय के अभिलेख हेतू	पूर्ण	पूर्ण	
(x)	गर्म और ठंडे मौसमी खर्चे	शून्य	पूर्ण	
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	शून्य	रू. 20000 / — तक	
6	वर्दी	शून्य	पूर्ण	
7 (i)	मोटर वाहन (पीओएल प्रभार)	शून्य	पूर्ण	
(ii)	मोटर वाहन के रखरखाव	शून्य	रू. 20000 / — तक	
8	किराया, दर और कर	पूर्ण	पूर्ण	आयोग द्वारा

[वा॰ रि॰ 2012-13] पृ॰ 15

				अनुमोदित दरों के
				अनुसार
9	कर्मचारियों को अग्रिम	रू.	पूर्ण	पूर्व अग्रिम का
		5000/-		समायोजन करके।
		तक		
10	मानदेय	पूर्ण	पूर्ण	आयोग द्वारा
				अनुमोदित दरों के
				अनुसार
11	विज्ञापन / मुद्रण	शून्य	रू.	••••
			10000 / -	
			तक	
12	लघु कार्य	शून्य	रू.	
			20000/-	
			तक	
13	व्यवसायिक और विशेष सेवाएं	शून्य	पूर्ण	आयोग द्वारा
				अनुमोदित मानदंडों के
				अनुसार

निरीक्षणः

हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 9 (4) के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रवेश के मानक, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, संकाय तथा केन्द्र/राज्य विनियामक निकायों द्वारा स्थापित मानदण्डो तथा/अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर जारी अधिनियम/विनियमों के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य की निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिए "निरीक्षण सारणी" अधिसूचित की गई है, ऐसे निरीक्षण आयोग द्वारा स्वयं अथवा इस प्रयोजन हेतु समय—समय पर गठित की जाने वाली 'विशेषज्ञ समिति'के माध्यम से किए जाते है। इस संदर्भ में, सत्र 2012—13 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा निम्न निजी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया:—

क्रम संख्या	संस्था का नाम	निरीक्षण की तिथि
1	चितकारा विश्वविद्यालय, सोलन।	19.02.2013—20.02.2013
2	इकफाई विश्वविद्यालय, सोलन ।	27.02.2013
3	बद्दी विश्वविद्यालय, सोलन ।	27.02.2013—28.02.2013
4	ए पी जी विश्वविद्यालय, शिमला।	05.03.2013—06.03.2013
5	अर्नी विश्वविद्यालय, कांगड़ा ।	15.03.2013—16.03.2013
6	मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन।	19.03.2013—20.03.2013

9. बैठकें / कार्यशालाएं:

वर्ष 2012—13 के दौरान विनियामक आयोग द्वारा विभिन्न राज्य ऐजेंसियों / संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालयों के शैक्षिक स्तर तथा पद्धति में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें / कार्यशालांए आयोजत की गई जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम संख्या	तिथि	प्रतिभागी संस्थान	बैठक का विषय
1	03.04.2012	राज्य निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार.	सत्र 2012—13 में प्रबंधन और व्यवसायिक पाठयक्रम के लिए एक समान प्रवेश मानक अपनाना।
2	27.07.2012	राज्य निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति	राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड के सहयोग से "शिक्षण प्रक्रिया की उपलब्धि" पर कार्यशाला। (NBA)
3	06.08.2012	राज्य निजी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और उच्च शिक्षा विभाग के दूसरे अधिकारी गण	राज्य निजी विश्वविद्यालयों द्वारा हि० प्र० सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में नकली ऑफलाइन/ ऑनलाइन टेस्ट श्रृंखला का आयोजन।
4	17.01.2013	राज्य निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और इंजीनियरिगं कॉलेज के प्रधानाचार्य	
5	02.02.2013	राज्य निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति और इंजीनियरिगं कॉलेज के प्रधानाचार्य	राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा को अपनाना (NVEQF)।

10. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयनः

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित जनसूचना अधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी अधिसूचित किए गये हैं:—

नम	पदनाम	टेलीफोन नंबर		
		कार्यालय / मोबाइल	निवास	
अपीलीय प्राधिकारी				
श्रीमती सरोजनी ठाकुर	अध्यक्षा	0177-2629665 9418024455	0177-2627125	
जन सूचना अधिकारी				
डॉ. मनोज चौहान	सचिव	0177-2629663 9418044033	0177-2628533	

वर्ष 2012—13 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अधीन मांगी गई सूचना की स्थिति नीचे दी जा रही है:--

प्राप्त आवेदनों / अनुरोधों की संख्या	उत्तर	हस्तांतरित	अपील
36	27	9	NA

11. अन्य अकादमिक पहलें:

उच्च शिक्षा, विशेषकर तकनीकी शिक्षा द्वारा स्वतन्त्र भारत के राजनैतिक लोकतन्त्र के आर्थिक

विकास, सामाजिक प्रगति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। हाल ही के वर्षों में शिक्षा क्षेत्र विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वृद्धि हुई है तथा प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के माध्यम् से विशेष रूप से तकनीकी तथा प्रबन्धन संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। गुणवत्ता की मान्यता तथा तकनीकी पाठ्यकमों के राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्वरूप के



हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग के अध्यक्षा द्वारा प्रथम विश्व प्रत्यायन शीर्ष सम्मेलन में

दृष्टिगत यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह संस्थाएं निर्धारित माप—दण्डों के कुछ उदेद्श्यों की पूर्ति करें। इस दिशा में विनियामक आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जो कि भारत वर्ष में प्रत्येक तकनीकी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में मान्यत्ता प्रदान करने वाली निकाय हैं, के सहयोग से राज्य के निजी विश्व विद्यालयों तथा अन्य निजी शैक्षिक संस्थाओं में गुणवता युक्त तकनीकी शिक्षा के मानकों तथा मूल्यांकन एंव प्रत्यायन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने के उदेद्श्य से एक परिचायक कार्यशाला का आयोजन किया गया । इसके परिणाम स्वरूप, मान्यताप्राप्त संस्थाओं से डिग्री प्राप्त तकनीकी स्नातकों को रोजगार प्राप्त होने के साथ—साथ लोगों में अकादिमक अभिक्तिच उत्पन्न करने के अतिरिक्त उन्हें विश्वस्तर पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है । इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग द्वारा CII के सहयोग से गुणवता अन्तर को कम करने तथा शैक्षिक संस्थाओं एवं उद्योग के मध्य और अधिक ताल—मेल स्थापित करने के उदेद्श्य से दिनांक 17 जनवरी 2013 को चण्डीगढ़ में एक

मानव संस्थान सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उदेद्श्य उद्योग जगत तथा शिक्षा क्षेत्र के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के अतिरिक्त प्रतिभा के अभाव को पूरा करने के साथ—साथ बदलते हुए जनसांख्यिकीय रेखाचित्र की चुनौतियों का सामना करना था।



चण्डीगढ़ में आयोजित मानव संसाधन सभा

अध्याय-5

चूक करने वाली विभिन्न संस्थाओं पर लगाए गये दण्ड तथा उनसे प्राप्त की गई राशि

विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2012—13 के दौरान हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 11 के अधीन, जिसमें अधिनियम के अधीन किए गये प्रावधनों तथा इसके अन्तर्गत बनांए गये नियमों तथा विनियमों के उल्लघंन किए जाने पर दण्ड दिये जाने की व्यवस्था की गई है, मुख्य उल्लंघनों के कारण निम्नलिखित कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2011 के नियम 6 में अधिनियम संख्या 15 धारा 11 में दण्ड की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन विनियामक आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रम संख्या	मामला संख्या	विषय	अन्तिम आदेश
1	2012 का 2	बिजनेस इन्सीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बैम्लोई शिमला।	लम्बित।
2	2012 का 3	बिजनेस इन्सीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बैम्लोई शिमला।	निर्णय के लिए लम्बित।
3	2012 का 5	बद्दी युनिवार्सिटी ऑफ समर्जिंग सांईस एण्ड टैकनोलोजी, मखनुमाजरा, बद्दी, जिला सोलन।	इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये स्थगन आदेश के कारण लम्बित
4	2012 का 6	बैल्ज़ इन्सीच्यूट ऑफमैनेजमैंट एण्ड टैक्नोलोजी नॉलेल सिटि मैहली, शिमला।	10-04-2013
5	2012 का 7	पंडित गौरी शंकर मेमोरियम पोलिटैक्निक, देवनगर, पी0 आ0 भखालग तहसील अर्की जिला सोलन	निर्णय के लिए लम्बित
6	2012 का 8	मानवभारती विश्वविद्यालय, गांव लाडो डा० सुलतानपुर जिला सोलन।	
7	2012 का 9	ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज कुमारहट्टी, जिला सोलन।	05/10/20113

सिविल दण्ड याचिका संख्या 10140/2012 के सम्बन्ध में न्यायलय द्वारा दिए गये स्थगन आदेश के कारण विनियामक आयोग द्धारा वर्ष 2012–13 के दौरान विनियामक मान–दण्डों के उल्लंघन करने पर राज्य निजी शैक्षिक संस्थाओं के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

पुठ 19

अध्याय-6

अन्य टिप्पणियां तथा सिफारिशें समर्थ विनियामक तंत्र के द्वारा पद्धति सुधार

समर्थ विनियामक पर्यावरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी को संस्थाओं तथा विनियामक दोनों स्तरों पर एक पथ विच्छेद नीति उपकरण के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है तथा सभी स्तरों पर अनाचार रोकने के साथ—साथ विनियामक पद्धित में स्वेच्छा प्रवित कम करने में सूचना का तुरन्त प्रभाव कारगर सिद्ध हो सकता है। आरम्भ से ही संस्थाओं की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व पर विशेष बल दिया जा रहा है लगातार धारणा तथा समीक्षाओं के पश्चात विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यकमों / फीस, विद्यार्थियों की संख्या, प्राध्यापक वर्ग, आरा—भूत संरचना, शैक्षिक विनियम, पाठ्यचर्या, प्रदान की गई डिग्री आदि की सूचना सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र की जानकारी हेतु वैबसाईट में शामिल की गई है।

इसके अतिरिक्त, विनियामक आयोग द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी सहयोग से राज्य में स्थापित निजी उच्च शैक्षिक संस्थानों में विभिन्न विनियामक प्रावधान तथा, प्रवेश के मानक, शिक्षण, परीक्षा, शोध, विस्तार कार्यक्रम, प्राध्यपाक वर्ग, आधारभूत संरचना तथा शिकायत

निवारण आदि से सम्बधित विभिन्न विनियामक प्रावधानों की संवीक्षा हेतु वेब प्रयोग आरम्भ किया गया है। इसके साथ ही छात्रों तथा अभिभावकों की शिकायतों का निराकरण भी विनियामक आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस सम्बन्ध में विनियामक आयोग द्वारा शिकायतों के ऑनलाईन निराकरण हेतु एक अनुप्रयोग विकसित किया गया है जहां शिकायतें ऑन—लाईन दायर/जमा की जा सकती हैं तथा इन पर कार्यालय में न जाकर ऑन लाईन प्रक्रिया आरम्भ की जाती है तथा एतदसम्बन्धी कार्यवाही



विनियामक आयोग द्वारा विकसित वेब अनुप्रयोगों का आशुचित्र

की जानकरी भी ऑन-लाईन प्राप्त की जा सकती है।

पुठ 20

अध्याय–7 आयोग के लेखे

विनियामक आयोग की परिकल्पना एक स्वतः वितपोषण तंत्र के रूप में की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी प्रारम्भिक स्थापना हेतु 70.00 लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई गई है। हिमाचल प्रदेश निजि शिक्षण संस्थान (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (क) के अधीन आयोग को अपने विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कुल फीस पर 1% शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा निधि का आगे आबंटन नहीं किया जाता क्योंकि इसके कोई भी अधीनस्त कार्यालय नहीं हैं। आयोग की सभी प्रकार की प्राप्तियां तथा भुगतान उपरोक्त अधिनियम के अधीन स्थापित आयोग निधि के द्वारा विनियामित की जाती है। आयोग के वर्ष 2012—13 के लेखे निधि नियमों में विहित प्रपत्नों पर तैयार किए गये है। आयोग के लेखे, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलनापत्र के रूप में तैयार किए जाते हैं। वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा के उपरान्त राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे जैसा कि अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन वांछित है।

विनियामक आयोग के वर्ष 2012-13 के वार्षिक लेखे निम्न प्रकार से है:

क्रम	विवरण		राशि (रूपये में)
संख्या			
1	अधशेष		53,56,260.00
2	प्राप्तियां	हि. प्र. निजि शिक्षण संस्थान	1,59,69,417.00
		(विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010	
		की धारा 8 (क) के अधीन	
		दंड / जुर्माना	1,00,00,,000.00
		ब्याज	2,61,504.00
		विविध प्राप्तियां	17,555.00
3	कुल(1+2)		3,16,04,736.00
4	व्यय	पूंजीगत व्यय	19,84,938.00
		राजस्व व्यय	78,08,724.00
5	अग्रिम		4,21,573.00
6	कुल(4+5)		1,02,15,235.00
7	अंत शेष (3-6)	एफ.डी	1,50,00000.00
		बचत	63,89,501.00
8	कुल(4-6)		3,16,04,736.00


वर्ष 2012-13 का आय और व्यय लेखाः

व्यय		आय	
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
स्टाफ का वेतन और मजदूरी	6377299.00	एकत्रित फीस	15969417.00
मोटर वाहन के रखरखाव	53475.00	दंड / जुर्माना वसूली	10000000.00
वाहन तथा पीओएल प्रभार	209471.00	विविध प्राप्तियां	17555.00
बिजली और जल प्रभार	66634.00	अर्जित ब्याज	261504.00
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	47635.00		
डाक एवं तार	20000.00		
कार्यालय व्यय	145446.00		
टेलीफोन प्रभार	121398.00		
भत्ता यात्रा	54969.00		
स्टेशनरी	26914.00		
विज्ञापन खर्च	162538.00		
परामर्श शुल्क	46500.00		
वाहन बीमा	21291.00		
टैक्सी प्रभार	86587.00		
बैंक प्रभार	1151.50		
कार्यालय और प्रशिक्षण	254009.00		
निरीक्षण प्रभार	68091.00		
विशेषज्ञ समिति बैठक व्यय	18534.00		
कटौती	793467.55		
आय से अधिक व्यय	17673065.95		
कुल	26248476.00		26248476.00

31.03.2013 तक का तुलन पत्रः

दायित्व		परिसम्पतियां	
विवरण	राशि (रूपये में)	विवरण	राशि (रूपये में)
राज्य सरकार से ऋण	70,00,000.00	फर्नीचर और फिक्स्चर	694249.20
आय से अधिक व्यय	17673065.95	बिजली उपकरण	184937.90
आय से अधिक व्यय को घटाकर	-29,138.00	कंप्यूटर	285050.40
वर्तमान दायित्व		वाहन	1436590.95
देय राशि	117772.00	पुस्तकालय पुस्तकें	1734.00
		बकाया अग्रिम	717409.00
		प्रीपेड बीमा	52227.00
		सावधि जमा	15000000.00
		बैंक में (बचत)	6389501.50
कुल	24761699.95	कुल	24761699.95

(लेखा परीक्षा के बिना आंकड़े)



पाई आरेख वर्ष 2012—13 में प्राप्ति और व्यय राशि (लाख में) दिखा रहा है।

[वा॰ रि॰ 2012-13]